


RBE No.162/2019



PCPO's Sl.No.209/2019

No. E/227(D)/O/ECR/HJP

Dated:- 04.11.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण /पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
9. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : रेलवे बोर्ड में प्रतिभा स्काउटिंग के माध्यम से खेल-कूद कोटा के तहत भर्ती के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के संबंध में।


संदर्भ : Railway's Boards Lt.No.2019 / ई(स्पोर्ट्स) / 4(1) / 6 Dated: 30.09.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.


 (सौरभ सावणी) 11-11-19
 वकाधि / ई.एस.एम
 कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस0.सी0. / एस0.टी0. / एशोसिएशन / पू.म.रे / हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ.बी.सी.एशोसिएशन / पू.म.रे / हाजीपुर।

5

RBE No.162 /2019
Clarification/Corrigendum No.107

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, dated 30.09.2019

No. 2019/E(Sports)/4(1)/6

The General Managers (P),
All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

ECR

073859
15 OCT 2019

Sub: Application for recruitment against Sports quota through Talent Scouting received in Railway Board.

Attention is invited to Railway Board's instruction No. 2011/E(Sports)/4(1)/1/Policy Clarifications dated 30.11.2011 specifying the types of applications which are being forwarded from Railway Board to the various Railways/Units for being considered against sports recruitment under Talent Scouting Quota.

2. In view of large number of applications received from sportspersons in Railway Board's office either directly or through some VIPs, the matter has been reviewed. It has been decided that, all applications for recruitment against sports quota (Talent Scouting), whether received directly or otherwise in the Ministry of Railways will be referred to Zonal Railways/Units by Railway Board for consideration for recruitment against Talent Scouting Sports Quota as per extant rules.

Please acknowledge receipt.

Bhaskar Roy Choudhury
(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director /Estt. (Sports)
Railway Board

New Delhi, dated 30.09.2019

मुख्याधि
काधि प्रशा
काधि/आईआर
प मुख्याधि/राज
प मुख्याधि/राज
प मुख्याधि/आई
आधि ESM
काधि
धि अधिकारी
लाहकार (का)

No. 2019/E(Sports)/4(1)/6

- 1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
- 2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, 7-GF, Ground Floor, Railway Bhavan, New Delhi.
- 4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No.48, Rail Bhavan, New Delhi.

[Signature]
for Secretary
Railway Board

Copy to:

- 1. The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/Production Units.
- 2. PPSs/PSs to CRB; MS; AM(S); Adv.(IR); ED/E(N); ED(E); ED/E(Res.); ED/F(E); EDE(GC); D/E(N); DF(E); JD/E(N); JD/F(E); JD/E(Rep.)-I&II; JD/E(W); DD/E(N)-I&II; DD/E(R)-I&II; DDE(GP); DD/F(E)-I,II&III; and E(Rep.)-I,II&III; E(SCT)-I&II; E(NG)I&II; E(GP); F(E)-I,II,III & F/E(Spl.) Branches in Boards Office.

[Signature]
17.10.2019

SPOR
[Signature]

आरबीई सं. 162 /2019
स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 107

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2019/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/6

नई दिल्ली, दिनांक 30.09.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं


चित्तोजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना,
रेल कोच फैक्टरी, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला,
महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन/लखनऊ।

विषय: रेलवे बोर्ड में प्रतिभा स्काउटिंग के माध्यम से खेल-कूद कोटा के तहत भर्ती के लिए
प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के संबंध में।

आपका ध्यान रेलवे बोर्ड के दिनांक 30.11.2011 के अनुदेश सं. 2011/ ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/पॉलिसी
स्पष्टीकरण की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें आवेदन पत्रों के प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं, जिन्हें
रेलवे बोर्ड से विभिन्न रेलों/इकाइयों को प्रतिभा स्काउटिंग कोटा के तहत भर्ती हेतु विचार करने के लिए
अग्रेषित किया जा रहा है।

2. रेलवे बोर्ड कार्यालय में सीधे खिलाड़ियों से या कुछ वीआईपी के माध्यम से बड़ी संख्या में प्राप्त
आवेदनों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच की गई है। यह विनिश्चय किया गया है कि खेल-
कूद कोटा (टैलेंट स्काउटिंग) के तहत भर्ती के लिए रेल मंत्रालय में सीधे या अन्यथा माध्यम से प्राप्त
सभी आवेदनों को रेलवे बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय रेलों/इकाइयों को मौजूदा नियमों के अनुसार प्रतिभा स्काउटिंग
खेल-कूद कोटा के तहत भर्ती हेतु विचार करने के लिए भेजा जाएगा।

कृपया पावती दें


(भास्कर राय चौधरी)
उप निदेशक, स्थापना (स्पोर्ट्स)
रेलवे बोर्ड